निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 97/अपील/20

जगदीश आ0 धूलीलाल शर्मा आयु 61 वर्ष जाति ब्राह्मण नि0 मोलक्या खुर्द तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी न्यायालय तहसीलदार बकानी प्रकरण संख्या 455/20
दिनांकः 16.09.2020

उपस्थितः- श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 12.07.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न0 455/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम मोलक्याखर्द की आराजी ख0न0 113 किस्म गैर मुमकिन रास्ता का 02 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 06 रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नही दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकनियात कायम कर निर्णय देना चाहिये था अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपीलान्ट का मकान मोलक्या खुर्द की आराजी ख0न0 113 पर निर्मित नही है अपितु ख0न0 113 की दक्षिण दिशा से लगता ख0न0 112 से लगवा ख0न0 512/111 के बाद दक्षिण में स्थित आराजी ख0न0 511/111 में बना हुआ है। अपीलान्ट वृद्व बीमार व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है व आराजी की पेमाईश अनुसार यदि कब्जा हो तो हटाने बाबत निवेदन किया जा चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट का मकान मोलक्या खुर्द की आराजी ख0न0 113 पर निर्मित नही है अपितु ख0न0 113 की दक्षिण दिशा से लगता ख0न0 112 से लगवा ख0न0 512/111 के बाद दक्षिण में स्थित आराजी ख0न0 511/111 में बना हुआ है। अपीलान्ट वृद्व बीमार व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है व आराजी की पेमाईश अनुसार यदि कब्जा हो तो हटाने को तैयार है । अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1228 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नायब तहसीलदार बकानी,भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार तहसीलदार बकानी को संबोधित रिपोर्ट अनुसार " प्रार्थी द्वारा ख0न0 113 गे0मु0रास्ता के भूमि पर अतिक्रमण होना स्वीकार नही कर अपना मकान स्वंय की पुश्तेनी भूमि ख0न0 511/111 में होना बताया। मोके पर ख0न0 511/111 की मुश्तकिल मुकाम से पेमाईश करने पर पाया की। अतिक्रमी प्रार्थी का मकान ख0न0 511/111 व 512/111 खातेदारी में एवं मकान के पीछे का आशिंक भाग ख0न0 113 गे0मु0रास्ता में आता है। मौके पर ख0न0 113 पर कोई रास्ता नही है,मोके पर भूमि समतल है एवं आबादी से लगी हुई है।" रिपोर्ट में अन्त में अंकन किया गया है कि " नक्शे लटठे में देखने पर भी रास्ते जैसा प्रतित नही होता है।" उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट का आराजी ख0न0 113 पर आशिंक अतिक्रमण बताया है अपीलान्ट की खातेदारी से लगवा आराजी को पैमाईश करवा कर पृथक–पृथक कर कब्जा यदि है तो हटाने को भी तैयार है। ऐसी दशा में अपीलान्ट को राहत दिया जाना उचित प्रतित होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती आदेश को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार तहसील बकानी वादग्रस्त आराजी जो खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी की परत अनुसार रास्ते की आकृति(Shape)में ना होकर बड़ा चोडा खसरा नम्बर दर्शित है में कब्जे की जॉच कर सभी के साथ कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़